

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 2483/2025

In

S.B. Criminal Appeal No.2332/2025
CNR: RJHC021057652025 | URN: SOSA / 4800U / 2025

Laxman Son Of Shri Rameshwar, Aged About 28 Years, Resident Of Arjunpura, P.s. Kishanganj, Distt. Baran, At Present R/o Near Light Office Seeswali, P.s. Mangrol, Distt. Baran. (Presently Confined At Central Jail, Kota.)

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Neva Gurjar Son Of Shri Panchu Lal Gurjar, Resident Of Purana Mundia, P.s. Mangrol, Distt. Baran.

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Anshul Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

10/08/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **लक्ष्मण** की ओर से धारा 430 बीएनएसएस के अंतर्गत, विचारण न्यायालय—विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, क्रम—1, बारां द्वारा सेशन प्रकरण संख्या—07/2022, सरकार बनाम **विष्णु गुर्जर व अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **08.08.2024** के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम सात वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी/अभियुक्त को अधिकतम सात वर्ष के दण्ड से दंडित किया गया है, विचारण के दौरान अपीलार्थी/अभियुक्त कुछ समय न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात् वह जमानत पर आजाद रहा है तथा वर्तमान में वह निर्णय की दिनांक 08.08.2024 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है तथा उसकी अभिरक्षा अवधि ढाई वर्ष से अधिक की हो चुकी है। उनका यह भी तर्क है कि पीड़िता द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध दुष्कर्म किए जाने की कोई साक्ष्य नहीं दी है, साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन-विश्लेषण नहीं किया है, अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

परिवादी पक्ष बावजूद तामील उपस्थित नहीं है।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों-वितर्का पर मनन किया, अनुसंधान एवं विचारण के दौरान अभियुक्त के संबंध में आई साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अतः प्रकरण में अनुसंधान एवं विचारण के दौरान आई साक्ष्य की प्रकृति, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/-रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/-रुपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **10.09.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **लक्ष्मण पुत्र श्री रामेश्वर** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J